प्रमुख सचिव, राजस्व/चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनॉक 27–10–2016 व दिनॉक 28–10–2016 को चकबन्दी निदेशालय पर की गयी चकबन्दी कार्यों की प्रगति समीक्षा का कार्यवृत्त।

प्रमुख सचिव राजस्व/चकबन्दी आयुक्त उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनॉक 27–10–2016 व 28–10–2016 को जनपदों के अधिकारियों के चकबन्दी कार्यों की प्रगति समीक्षा की गयी। समीक्षा बैठक में अपर संचालक चकबन्दी(प्रा0), वित्त नियंत्रक चकबन्दी, संयुक्त संचालक चकबन्दी, उप संचालक चकबन्दी उपस्थित रहे। समीक्षा बैठक में उपस्थित जनपद के अधिकारीगण की सूची संलग्न है। बैठक में बिना सूचना के अनुपस्थित अधिकारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय तथा यह भी निर्देशित किया गया कि भविष्य में बिना प्रमुख सचिव, राजस्व/चकबन्दी आयुक्त को दूरभाष पर अवगत कराए समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहने पर गंभीरता से लिया जायेगा। चकबन्दी कार्यों की समीक्षा बैठक का विवरण निम्न प्रकार है:–

<u>धारा–23,27 एवं 52 की प्रगति का विवरण:–</u>

समीक्षा बैठक में पाया गया कि अधिकांश जनपदों में धारा–23,27 एवं 52 का लक्ष्य पूर्ण नहीं हुआ है। जनपद रामपुर, कानपुर नगर, सहारनपुर, मैनपुरी, मुरादाबाद, मु0नगर, बदायूँ, हरदोई, बुलन्दशहर, अलीगढ़, हमीरपुर, अमेठी, गाजीपुर, बहराइच, चन्दौली, इलाहाबाद, कौशाम्बी, गोरखपुर, व महराजगंज में धारा–52 के अन्तर्गत शून्य प्रगति रही है। जनपद चित्रकूट, कानपुर नगर, फर्रूखाबाद, बागपत, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मुरादाबाद, बुलन्दशहर, शामली, मथुरा, अलीगढ, कासगंज, हाथरस, कानपुर देहात, इटावा, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बादाँ, मिर्जापुर, गोण्डा, फैजाबाद, चन्दौली, वाराणसी, कुशीनगर, महराजगंज, सुल्तानपुर, बलरामपुर व श्रावस्ती में धारा–23 की प्रगति शून्य रही है। बैठक में उपस्थित सभी उप संचालक चकबन्दी व बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी को निर्देश दिये गये कि निर्धारित लक्ष्य को माह नवम्बर तक शत–प्रतिशत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

<u>सीमांकन/कब्जा परिवर्तन की प्रगति का विवरण:–</u>

प्रदेश में इस वित्तीय वर्ष 2016–17 में कब्जा परिवर्तन हेतु लक्षित कुल 344 जिसके सापेक्ष अब तक 295 ग्रामों की प्रगति की गई। पूरे प्रदेश के लगभग 55 ग्रामों के कब्जा परिवर्तन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया। निर्देश दिये गये कि कब्जा परिवर्तन का कार्य पूर्ण कराया जाये।

<u>अधिकारीवार वादों का निस्तारण का विवरण:–</u>

समीक्षा बैठक के समय पाया गया कि अधिकांश जनपदों के उप संचालक चकबन्दी, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी एवं चकबन्दी अधिकारीगण द्वारा वादों का निस्तारण मानक के सापेक्ष नहीं किया गया है तथा वादों का निस्तारण अत्यधिक खराब पाया गया। अधिकारियों द्वारा मानक के अनुरूप वादों का निस्तारण नहीं किया जा रहा है, जो अत्यंत आपित्तजनक

है। निर्देश दिये गये कि वादों के निस्तारण में सुधार लाया जाए। पुराने वादों का निस्तारण भी अपेक्षानुरूप नहीं किया जा रहा है।

<u>जनपद में निस्तारित/अवशेष निगरानी का विवरणः–</u>

वादों की समीक्षा में पाया गया कि जनपद बुलन्दशहर, मु0नगर, सम्भल, अमरोहा, खीरी, रामपुर, बाराबंकी, ललितपुर, वाराणसी जौनपुर, सोनभद्र, आजमगढ़, बलिया, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, गोण्डा, बलरामपुर के बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी वादों का निस्तारण निर्धारित मानक के अनुसार या उससे अधिक वादों का निस्तारण किया है। इसके अतिरिक्त जनपद आगरा, मथुरा, सीतापुर, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, बाँदा, भदोही के बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दीगण का निर्धारित मानक के अनुसार कार्य नहीं किया गया है।

श्री अजय पोरवाल, चकबन्दी अधिकारी, मेरठ, श्री मातवर सिंह रावत, चकबन्दी अधिकारी, सहारनपुर, श्री राजीव दत्त शर्मा, चकबन्दी अधिकारी, मैनपुरी, श्री राकेश कुमार, चकबन्दी अधिकारी, पीलीभीत, श्री धूम सिंह, चकबन्दी अधिकारी रामपुर, श्री विनय प्रकाश श्रीवास्तव, चकबन्दी अधिकारी कन्नौज, श्री अमर नाथ चकबन्दी अधिकारी, उन्नाव, श्री विश्वजीत सिंह, चकबन्दी अधिकारी, अमरोहा, श्री फरहत अहमद खॉ, चकबन्दी अधिकारी, महोबा श्री शहवाज मसूद सिद्दीक, चकबन्दी अधिकारी, हमीरपुर श्री रमेश बाबू, चकबन्दी अधिकारी, महोबा, श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, चकबन्दी अधिकारी, मऊ चकबन्दी अधिकारियों के अधिकारीवार वादों का निस्तारण में पाया गया कि अधिकांश चकबन्दी अधिकारीगण द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार वादों का निस्तारण नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त चकबन्दी अधिकारियों द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार या उससे अधिक भी वादों का निस्तारण किया गया है।

बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिन अधिकारियों द्वारा मानक के अनुरूप वादों का निस्तारण नहीं किया गया है, वह अगली मासिक समीक्षा बैठक तक मानक के अनुरूप निस्तारण करना सुनिश्चित करें। पुराने वादों का गुण–दोष के आधार पर निस्तारण हेतु विशेष बल दिया जाये। वादों के निस्तारण में गुणवत्ता एवं पारदर्शिता का विशेष ध्यान दिया जाये। किसी भी स्तर पर शिथिलता क्षम्य नहीं होगी।

<u>05 वर्ष से अधिक समय से लम्बित वादों के निस्तारण की प्रगति का विवरणः–</u>

05 वर्ष से अधिक समय से लम्बित वादों में उप संचालक चकबन्दी जनपद सुल्तानपुर, बस्ती, फैजाबाद, प्रतापगढ़, मऊ, देवरिया, की प्रगति अत्यन्त खराब है। उप संचालक चकबन्दी सुल्तानपुर, बस्ती, फैजाबाद, प्रतापगढ़, मऊ, देवरिया द्वारा उपलब्ध क्रमशः 82, 17, 82, 433, 31, 55 के सापेक्ष शून्य निस्तारण किया गया है। इसी प्रकार सबसे ज्यादा लम्बित निगरानी जनपद आजमगढ़ में है। जहॉ पर 1020 निगरानी के सापेक्ष 65 निगरानी का निस्तारण किया गया है। इसी प्रकार जनपद बलिया में 966 निगरानी के सापेक्ष 18 निगरानी का निस्तारण किया गया है।

05 वर्ष से अधिक समय से लम्बित वादों में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी जनपद सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बलिया, आजमगढ़, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया की प्रगति अत्यन्त खराब है। जनपद सुल्तानपुर में 343 अपीलों के सापेक्ष निस्तारण शून्य है। जनपद प्रतापगढ़

में 785 अपीलों के सापेक्ष निस्तारण मात्र 04 किया गया है। जनपद बलिया में 1227 अपीलों के सापेक्ष 32 अपीलों का निस्तारण किया गया। जनपद आजमगढ़ में 1204 अपीलों के सापेक्ष मात्र 04 अपीलों का निस्तारण किया गया। जनपद गोरखपुर में 949 अपीलों के सापेक्ष मात्र 08 अपीलों का निस्तारण किया गया। जनपद कुशीनगर में 1427 अपीलों के सापेक्ष मात्र 11 अपीलों का निस्तारण किया गया। जनपद देवरिया में 714 अपीलों के सापेक्ष निस्तारण शून्य रहा है। निस्तारण की प्रगति में संतोषजनक प्रयत्न किया जाए।

नियम 109 के अन्तर्गत वादों के निस्तारण की प्रगति का विवरणः–

समीक्षा बैठक के समय पाया गया कि नियम 109 के अन्तर्गत माह सितम्बर,2016 तक कुल 7827 वाद लम्बित हैं। कुल 4538 वादों का निस्तारण किया गया है जो अत्यन्त ही असंतोषजनक है।

समीक्षा बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिन जनपदों में नियम 109 के अन्तर्गत वादों का निस्तारण अपेक्षाकृत बहुत ही कम किया गया है, ऐसे सभी जनपद के अधिकारीगण आगामी मासिक समीक्षा बैठक तक समस्त वादों का नियमानुसार निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

अनुशासनात्मक कार्यवाही की समीक्षा विवरणः–

विभागीय कार्यवाही की समीक्षा में यह बात संज्ञान में आयी कि कई पुराने मामले शासन को मार्ग निर्देशन/आदेश हेतु संदर्भित किये गये हैं, जिनमें अभी शासन से आदेश अपेक्षित बताये गये हैं। इन प्रकरणों में अनुस्मारक एक सप्ताह के भीतर शासन को भेज दिया जाए तथा शासन स्तर पर इसकी पैरवी सम्बन्धित अनुभाग से करते हुए आदेश शीघ्र प्राप्त करके निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

विभागीय कार्यवाही के संकलित विवरण में आख्या अधूरी है तथा अधिकांश मामलों में आरोप पत्र का उत्तर देने की तिथि, जॉच अधिकारी द्वारा जॉच आख्या प्रस्तुत करने की तिथि का उल्लेख नहीं है। इस विवरण को अगले 15 दिन के भीतर अद्यतन कर लिया जाए, जिससे सही स्थिति की जानकारी हो सके।

कई प्रकरण ऐसे हैं जिनमें जॉच आख्या प्राप्त, पत्रावली पर प्रस्तुत का उल्लेख किया गया है, किन्तु पत्रावली इस स्तर पर प्रस्तुत है, यह स्पष्ट नहीं है। ऐसे सभी मामले जिनमें जॉच आख्या प्राप्त हो चुकी है तथा अभ्यावेदन अभी नहीं मॉगे गये है, उनमें सम्बन्धित अधिकारी को जॉच आख्या की प्रति एक सप्ताह में भेजकर अभ्यावेदन उपलबध कराने की अपेक्षा कर ली जाए तथा जिन मामलों में अभ्यावेदन प्राप्त हो चुके हैं, उनमें अंतिम आदेश आगामी एक माह के भीतर कराने हेतु पत्रावली मेरे स्तर पर निर्णय हेतु प्रस्तुत की जाए।

जिन मामलों में जॉच आख्या अप्राप्त दर्शायी जा रही है, उनमें यह देख लिया जाए कि जॉच अधिकारी बदलने की आवश्यकता तो नहीं है, यदि है तो उनमें जॉच अधिकारी का नामांकन अगले 15 दिन में करा लिया जाए।

यह देखने में आ रहा है कि कतिपय मामले में, जिनमें कर्मचारी/अधिकारी निलम्बित है, उनमें जीवन निर्वाह भत्ते में वृद्धि के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा रहे हैं, जिनमें यह अंकित किया जा रहा है कि आरोपी कर्मचारी/अधिकारी द्वारा आरोप पत्र का जवाब दिया जा चुका है, परन्तु जॉच आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी है, ऐसे मामलों में विलम्ब के लिए जॉच अधिकारी का स्पष्टीकरण प्राप्त करने की संस्तुति भी पत्रावली पर प्रस्तुत की जाए।

म0 उच्च न्यायालय के स्थगन आदेशों से बाधित ग्रामों की स्थितिः–

म0 उच्च न्यायालय के स्थगन आदेशों से प्रभावित कुल 277 ग्रामों में से 01 ग्रामों में स्थगन आदेश को अपास्त कराया गया है, जबकि 276 ग्राम अब भी स्थगन आदेश से बाधित हैं। समीक्षा बैठक के समय म0 उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों से चकबन्दी प्रकिया में बाधित ग्रामों के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि जिन ग्रामों में कब्जा परिवर्तन नहीं हुए हैं तथा चकबन्दी कार्य किया जाना सम्भव नहीं हो पा रही है तो ऐसे ग्रामों में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत नियमानुसार परीक्षण के बाद जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी के माध्यम से प्रस्ताव निदेशालय प्रेषित किया जाये। जिन ग्रामों में कब्जा परिवर्तन की कार्यवाही पूर्ण होने के बाद स्थगन आदेश पारित किये गये हैं। उनमें स्थगन आदेशों का पुनः निरीक्षण करके एक्सपेडाइट प्रार्थना पत्र देकर स्थगन आदेश समाप्त कराते हुए चकबन्दी प्रकिया को आगे बढ़ाने का हरसम्भव प्रयास किया जाय। इस हेतु लम्बित ग्रामवार चकबन्दी अधिकारी भी नामित कर दिये जायं, जो प्रभावी पैरवी करें,

धारा–52 के प्रस्ताव हेतु अवशेष लक्षित ग्रामों का विवरणः–

समीक्षा बैठक में यह तथ्य संज्ञान में आया कि जनपद में वित्तीय वर्ष 2016–17 में धारा–52 की प्रगति ले ली गई है, परन्तु अभी तक निदेशालय पर सभी ग्रामों के धारा–52 के प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। स्थिति अत्यन्त खेदजनक है। इसी कम में जनपद मेरठ के ग्राम–किनौनी, जनपद अमरोहा के ग्राम–सिरसा मोहन हरियाना जनपद शाहजहॉपुर के ग्राम हमीरपुर चकौना, जनपद फिरोजाबाद के ग्राम एलमपुर, जनपद कन्नौज के ग्राम तुर्कपुर, जनपद मिर्जापुर के ग्राम सुईयाखुर्द, कोदईपुर खुर्द, जनपद एटा के ग्राम गुलनगरिया, जनपद बिजनौर के ग्राम एवलगढ़ गिरदाना सोहनपुर, जनपद चित्रकूट के ग्राम बरिया कांटी, जनपद जौनपुर के गाम पौना हसनपुर, जनपद सोनभद्र के ग्राम बधनार पुरैनिया, जनपद आजमगढ़ के ग्राम बड़ौरा खुर्द, जनपद मऊ के ग्राम कासारी सुल्तानपुर, जनपद बलिया के ग्राम नसरतपुर, जनपद बस्ती के ग्राम करमिया, जनपद संतकबीरनगर के ग्राम छपिया गझौला, जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम बलुआ, जनपद सीतापुर के ग्राम लखुवाबोंझी बछुवापुर पैगरवा, जनपद खीरी के ग्राम हसनपुर सिकिटिहा, जनपद वाराणसी के ग्राम जफी, जनपद रायबरेली के ग्राम अलीपुर, जनपद अम्बेडकरनगर के ग्राम सरैथावीरसिंहपुर, जनपद गोण्डा के ग्राम टैगरहा का प्रस्ताव अभी तक निदेशालय को प्राप्त नहीं हुआ है, जो अत्यंत खेद का विषय है। उप संचालक चकबन्दी/बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी को निर्देशित किया जाता है कि 15 दिन के अन्दर धारा–52 का प्रस्ताव निदेशालय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

धारा–52 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में 800 ग्रामों का लक्ष्य निर्धारित है। जिसके सापेक्ष 30सितम्बर,2016 तक मात्र 71 ग्रामों की प्रगति ही दर्शायी जा रही है। समीक्षा में यह पाया गया कि इन 71 ग्रामों में भी लगभग 40 ग्रामों का धारा–52 का प्रस्ताव चकबन्दी आयुक्त कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। यह अपेक्षा की गयी कि जनपदों में विस्तृत समीक्षा के आधार पर सम्बन्धित जिलाधिकारियों को तद्विषयक कार्यवाही आगामी 15 दिन के भीतर कराने हेतु अर्द्धशासकीय पत्र मेरी ओर से भिजवाया जाए, जिससे वास्तविक रूप से इन ग्रामों का धारा–52 हो सके।

धारा–52 के प्रकाशन में जनपद कानपुर, सहारनपुर, मैनपुरी, मुरादाबाद, मु0नगर, बदायूँ, हरदोई, बुलन्दशहर, अलीगढ़ तथा हमीरपुर की प्रगति शून्य है, यह स्थिति ठीक नहीं है। मुख्यालय स्तर से भी इन जनपदों की सतत् समीक्षा करते हुए अपेक्षित प्रगति प्राप्त की जाए। उल्लेखनीय है कि मुख्यालय स्तरीय अधिकारियों की भी परफारमेन्स इसी आधार पर आकलित की जाएगी कि प्रदेश में लक्ष्य के सापेक्ष वह कितनी प्रगति सुनिश्चित करा पाये।

यह भी संज्ञान में लाया गया कि लगभग 40 ग्रामों के धारा–6 के प्रकाशन की संस्तुति मुख्यालय स्तर पर लम्बित है, जिसमें निर्णय के लिए मुख्यालय स्तर पर एक समिति का गठन किया गया था, उक्त समिति की बैठक अगले 15 दिनों में करा ली जाए तथा समिति की संस्तुति चकबन्दी आयुक्त के निर्णय हेतु आगामी 15 दिनों में उपलब्ध करा दी जाए।

वार्षिक लक्ष्य तथा मासान्त सितम्बर,2016 तक के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष धारा–23, धारा–27 तथा धारा–52 के अन्तर्गत प्रगति तथा वादों के निस्तारण की प्रगति नितान्त असंतोषजनक है, जिसमें गुणात्मक सुधार अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि चुनाव प्रक्रिया घोषित होने के उपरान्त ग्राम स्तर पर कार्य करना सम्भव नहीं हो पायेगा। अतः इसमें वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष अधिकांश प्रगति दिसम्बर,2016 के अन्त तक ही प्राप्त करनी होगी। तद्नुसार रणनीति बनाकर अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निम्न निर्देश दिये गयेः–

1– सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि न्यायालयों में नियमित रूप से बैठें और अपने न्यायालयों से सम्बन्धित मामलों का शीघ्रता से निस्तारण करें। निर्देश दिये गये कि उप संचालक चकबन्दी, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, चकबन्दी अधिकारी पुराने लम्बित मामलों का शीघ्रता से निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

2– बैठक में धारा–23, 27, 52 के अन्तर्गत शून्य प्रगति के लिए जनपद रामपुर, कानपुर नगर, सहारनपुर, मैनपुरी, मुरादाबाद, मु0नगर, बदायूँ, हरदोई, बुलन्दशहर, अलीगढ़, हमीरपुर, अमेठी, गाजीपुर, बहराइच, चन्दौली, इलाहाबाद, कौशाम्बी, गोरखपुर, महराजगंज चित्रकूट, कानपुर नगर, फर्रूखाबाद, बागपत, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मुरादाबाद, बुलन्दशहर, शामली, मथुरा, अलीगढ़, कासगंज, हाथरस, कानपुर देहात, इटावा, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बादाँ, गिर्जापुर, गोण्डा, फैजाबाद, चन्दौली, वाराणसी, कुशीनगर, महराजगंज, सुल्तानपुर, बलरामपुर व श्रावस्ती के उप संचालक चकबन्दी/बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी को निर्देशित किया गया है कि माह नवम्बर,2016 तक लक्ष्य पूर्ण करायें।

3– उप संचालक चकबन्दी, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी व चकबन्दी अधिकारी जिनके वादों का निस्तानरण निर्धारित मानक के अनुसार 20 प्रतिशत से कम है, निर्देश दिये गये कि वादों का निस्तारण आगे बढ़ायें।

4– सभी अधिकारियों को यह निर्देश दिये गये कि वे निगरानियों/अपीलों/ आपत्तियों के निस्तारण में तेजी लायें। पुनः समीक्षा में सुधार परिलक्षित न होने पर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

5– सभी अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये गये कि वे अपना आचरण एवं व्यवहार जनता के प्रति अच्छा रखें और जन–समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहते हुए उनका त्वरित गति से निराकरण करायें।

6– यदि अधिवक्ता हड़ताल करते हैं तो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व मंत्री के साथ मा0 सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट तथा शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में उनसे वार्ता करें तथा उनका सहयोग लेते हुए मुकदमों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाय।

7– पीठासीन अधिकारी ग्राम में जाकर अभियान के रूप में अधिक से अधिक मुकदमों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

8– निर्देश दिये गये कि पुराने मुकदमों में दिन–प्रतिदिन की तारीख लगाते हुए नवम्बर,2016 तक समस्त पुराने वादों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाय।

9– सभी अधिकारी अपने अधीनस्थ स्टाफ की मानीटरिंग करते हुए धारा–23, 27 एवं 52 का लक्ष्य शत–प्रतिशत पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

10– यह भी निर्देश दिये गये कि जिन चकबन्दी अधिकारी/सहायक चकबन्दी अधिकारियों की विभागीय कार्यवाहियॉ लम्बित हैं। उनकी विभागीय कार्यवाहियों में जॉच आख्या प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।

11– मा0 उच्च न्यायालय के स्थगन से प्रदेश में कुल 277 ग्रामों में से अभी तक 01 ग्राम के स्थगन आदेश को अपास्त कराया गया है, जबकि 276 ग्राम अब भी स्थगन आदेश से बाधित हैं। जनपद जौनपुर में 50, सहरानपुर में 19, आजमगढ़ में 17, सिद्धार्थनगर में 10 तथा सुल्तानपुर में 12 ग्राम हैं। समीक्षा बैठक के समय मा0 उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों से चकबन्दी प्रकिया में बाधित ग्रामों के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि जिन ग्रामों में कब्जा परिवर्तन नहीं हुआ है तथा चकबन्दी कार्य किया जाना सम्भव नहीं है तो एसे ग्रामों में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा–6(1) के अन्तर्गत नियमानुसार परीक्षण के बाद जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी के माध्यम से प्रस्ताव निदेशालय प्रेषित करें, जिन ग्रामों में कब्जा परिवर्तन की कार्यवाही पूर्ण होने के बाद स्थगन आदेश पारित किये गये हैं उनमें स्थगन आदेशों का पुनः निरीक्षण करके एक्सपेडाइट प्रार्थना पत्र देकर स्थगन आदेश समाप्त कराते हुए चकबन्दी प्रकिया को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए।

12– वार्षिक लक्ष्य तथा माह सितम्बर,2016 तक के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष धारा–23, धारा–27 तथा धारा–52 के अन्तर्गत प्रगति तथा वादों के निस्तारण की प्रगति नितान्त असन्तोषजनक है। जिसमें गुणात्मक सुधार लाया जाय।

13– बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी/उप संचालक चकबन्दीगण द्वारा एक व्हाट्सअप ग्रुप बना लिया जाए, जिससे आदेशों/निर्देशों के आदान–प्रदान में सुगमता हो सके।

14– प्रदेश में सहायक चकबन्दी अधिकारीगण के 369 पद रिक्त है। जिनकी प्रोन्नति चकबन्दीकर्ता पद से की जानी है। चूँकि चकबन्दीकर्ता की वरिष्ठता सूची जारी कर दी गयी है। अतः अब यह अपेक्षित है कि इनकी वार्षिक प्रविष्टियॉ अविलम्ब पूर्ण कराकर आगामी 30 नवम्बर,2016 तक डी0पी0सी0 करा दी जाय।

15– यह भी संज्ञान में आया कि चकबन्दीकर्ता पद के भी 724 पद रिक्त है। यह रिक्ति और बढ जाएगी, यदि इनकी प्रोन्नति सहायक चकबन्दी अधिकारी के पद पर कर दी जाएगी। अतः आवश्यक है कि चकबन्दी लेखपालों से प्रोन्नति की कार्यवाही भी अविलम्ब करायी जाए।

समीक्षा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि मा0 मुख्यमंत्री जी के कम्प्यूटर संदर्भों, सूचना अधिकार अधिनियम के मामलों का निस्तारण तथा मा0 विधायकगण द्वारा प्रेषित पत्रों, शासन, लोकायुक्त, काश्तकारों की समस्याओं का नियमानुसार

समाधान कराना सुनिश्चित करें, ताकि कृषकों / जनता के मध्य चकबन्दी विभाग की छवि उज्ज्वल हो सके।

यह भी निर्देश दिये गये कि उप संचालक चकबन्दी / बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी / चकबन्दी अधिकारी एवं सहायक चकबन्दी अधिकारीगण अपने अधीनस्थ स्टाफ पर प्रभावी नियंत्रण रखते हुए टीम भावना से कार्य प्रगति पूर्ण करना सुनिश्चित करें। मुख्यालय स्तर के अधिकारी कार्यों की सतत् समीक्षा करते हुये लक्ष्य शत प्रतिशत प्राप्त करना सुनिश्चित करायें।

अन्त में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त की गयी।

(अरविन्द कुमार)
चकबन्दी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

कार्यालय चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या 5279 / जी0एस0-481/2016-17 दिनॉक 18 नवम्बर,2016

प्रतिलिपिः–

1– वैयक्तिक सहायक चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2– आशुलिपिक, अपर संचालक चकबन्दी(प्रा0), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3– समस्त जिलाधिकारी / जिला उप संचालक चकबन्दी, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि चकबन्दी प्रक्रिया को आगे बढ़ाये जाने हेतु अपने स्तर से भी समीक्षा बैठक कराकर सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करने की कष्ट करें।
4– समस्त उप संचालक चकबन्दी, उत्तर प्रदेश को अनुपालनार्थ।
5– समस्त बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों / कर्मचारियों पर नियंत्रण एवं समुचित पर्यवेक्षण करते हुए चकबन्दी प्रकिया को आगे बढ़ाया जाना सुनिश्चित करें।
6– चकबन्दी मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण को आवश्यक कार्यवाही एवं उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कराते हुए अनुपालन आख्या प्रेषित करने हेतु।
7– प्रशासनिक अधिकारी, सामान्य अनुभाग, चकबन्दी मुख्यालय को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

(रवीन्द्र कुमार दुबे)
संयुक्त संचालक चकबन्दी,
कृते आयुक्त।